


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 16, 2014/श्रावण 25, 1936

No. 202]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 16, 2014/SHRAVANA 25, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2014

फा. सं. 13018/01/2014-अभासे(I).— केंद्र सरकार, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-I, खंड-1 में दिनांक 19 जून, 2014 को प्रकाशित भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की दिनांक 31 मई, 2014 की अधिसूचना सं. 13018/01/2014-अ.भा.से.(I) द्वारा अधिसूचित संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2014 में आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा नामक प्रतियोगी परीक्षा के नियमों में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उपरोक्त अधिसूचना की परिशिष्ट-(I) में—

(i) “खंड- I” में “परीक्षा की योजना” शीर्ष के अंतर्गत पैरा 2 में “प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होगा” से प्रारम्भ होने वाले भाग तथा “खंड- II के उपखंड (क) में विनिर्धारित” से समाप्त होने वाले भाग के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“ प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर योग्यताक्रम का निर्धारण 200 अंक वाले प्रश्नपत्र-I तथा 200 अंक वाले प्रश्नपत्र-II में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसमें से अंग्रेजी भाषा के बोधगम्यता कौशल के प्रश्नों के लिए दिए गए कुल अंकों को घटा दिया जाएगा”

(ii) "खंड-II" में "क. प्रारंभिक परीक्षा" शीर्षक के अंतर्गत —

(क) "परीक्षा में प्रत्येक 200 अंकों वाले दो अनिवार्य प्रश्नपत्र होंगे", शब्दों एवं आंकड़ों को "परीक्षा में दो अनिवार्य प्रश्नपत्र होंगे जिनमें से प्रश्नपत्र-I, 200 अंकों का और प्रश्नपत्र-II 200 अंकों का होगा जिसमें से अंग्रेजी भाषा की बोधगम्यता कौशल के लिए आबंटित कुल अंकों को घटाकर" शब्द, लेटर एवं आंकड़ों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) टिप्पणी में, खंड (ii) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"(ii) प्रश्नपत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में तैयार किए जाएंगे। तथापि Xवीं कक्षा के स्तर के अंग्रेजी भाषा की बोधगम्यता कौशल से सम्बंधित प्रश्नपत्र, जो अंग्रेजी में ही मुद्रित किये जाते हैं, का ग्रेड प्रदान करने या योग्यता नियत करने के लिए मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, इसलिए इन्हें उम्मीदवारों को हल करने की आवश्यकता नहीं है"

(iii) "खंड III" में भाग क- प्रारंभिक परीक्षा" शीर्षक के अंतर्गत—

(क) उपशीर्षक प्रश्नपत्र-II (200 अंक) अवधि: दो घंटे के लिए निम्नलिखित उप शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा—
"प्रश्नपत्र II – (200 अंक में से अंग्रेजी भाषा बोधगम्यता कौशल के लिए निर्धारित कुल अंक घटाकर) अवधि: दो घंटे"

(ख) टिप्पणी 1 के लिए निम्नलिखित टिप्पणी प्रतिस्थापित की जायेगी अर्थात् :—

"टिप्पणी 1: Xवीं कक्षा के स्तर के अंग्रेजी भाषा की बोधगम्यता कौशल से सम्बंधित प्रश्नपत्र, जो अंग्रेजी में ही मुद्रित किये जाते हैं, का ग्रेड प्रदान करने या योग्यता नियत करने के लिए मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, इसलिए इन्हें उम्मीदवारों को हल करने की आवश्यकता नहीं है।"

गायत्री मिश्रा, निदेशक (अ.भा.से.)

टिप्पणी :— प्रधान अधिसूचना सं. 13018/01/2014-अ.भा.से.-(I) दिनांक 31 मई, 2014 को भारत के राजपत्र के भाग I खंड 1 में दिनांक 19 जून, 2014 को प्रकाशित की गई।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2014

F. No. 13018/01/2014-AIS(I).— The Central Government hereby makes the following amendments in the rules for competitive examination—Civil Services Examination—to be held by the Union Public Service Commission in 2014 notified by the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) *vide* notification number 13018/01/2014-AIS (I), dated the 31st May, 2014 and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 19th June, 2014, namely:—

In Appendix I to the said notification,—

(i) in "SECTION I", under the heading "PLAN OF EXAMINATION", in paragraph 2, after the portion beginning with "The Preliminary Examination will consist of" and ending with "set out in sub-section (A) of Section II", the following shall be inserted, namely:—

“The merit on the basis of Preliminary Examination shall be drawn using aggregate marks obtained in Paper-I out of 200 and marks obtained in Paper-II out of 200 minus the total of the marks allocated to the questions on English Language Comprehension skills.”;

(ii) in “SECTION II”, under the heading “A. PRELIMINARY EXAMINATION”,—

(A) for the words and figures “The Examination shall comprise of two compulsory Papers of 200 marks each”, the words, letters and figures “The Examination shall comprise of two compulsory papers, of which Paper-I will be of 200 marks and Paper-II will be of 200 marks minus the total of the marks allocated to the questions on English Language Comprehension skills.” shall be substituted;

(B) in the Note, for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:—

“(ii) The question papers will be set both in Hindi and English. However, questions relating to English Language Comprehension skills of Class X level, which are printed in English only, shall not be evaluated for gradation or merit and therefore, need not be attempted by the candidates.”;

(iii) in “SECTION III”, under the heading “Part A-Preliminary Examination”,—

(A) for the sub-heading “Paper II-(200 marks) Duration: Two hours”, the following sub-heading shall be substituted, namely:—

“Paper II-(200 marks minus the total of the marks allocated to the questions on English Language Comprehension skills) Duration: Two hours”;

(B) for Note 1, the following note shall be substituted, namely:—

“Note 1: Questions relating to English Language Comprehension skills of Class X level, which are printed in English only, shall not be evaluated for gradation or merit and therefore, need not be attempted by the candidates.”

GAYATRI MISHRA, Director (AIS)

Note.—The principal notification number 13018/01/2014-AIS (I), dated the 31st May, 2014 was published in the Gazette of India, Part I, Section 1, dated the 19th June, 2014.